Rs.5 5रु. Rs.5
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

(116)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs 20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/2451

1. श्याम सिंह पिता स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह निवासी अमहिया तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. प्रवीण कुमार पिता गंगा प्रसाद पाठक निवासी ग्राम खडडा तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0)

श्री ... द्वारा आज दि. 19-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19/4/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.............................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शान्ती बेवा हनुमान प्रसाद पाठक
2. चित्रेन्द्र पिता स्व0 हनुमान प्रसाद पाठक

   दोनो निवासी ग्राम खडडा तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0)
3. शासन म0प्र0 द्वारा तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0)
4. राजस्व निरीक्षक बृत्त गुढ तहसील गुढ तहसील गुढ जिला रीवा म0प्र0
5. हल्का पटवारी रीठी कमांक 1 तहसील गुढ जिला रीवा म0प्र0

(V.K. SHUKLA) 19/4/18

............................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुध्द तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 405/ब–121/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 05.04.18 के विरुध्द

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

यह कि निगरानीकर्तागण निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है कि:–

1. यह कि मूल खसरा कमांक 282 स्थित ग्राम खडडा 116, हल्का रीठी, रा0नि0म0 गुढ का कुल रकवा 6.657 हे0 था, जिसके कुल 4 हिस्से आपसी बटवारा पुल्ली दिनांक 20.10.14 अनुसार हुये जिसमे से एक हिस्सा अंश रकवा 3.328 हेक्ट0 देवराज़ व रामराज को, 2.219 हेक्ट0 का अंश रकवा हिस्सा चित्रेन्द्र व शान्ती देवी को, 0.554

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2451

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/4/2018	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 405/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 5–4–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2952–दो/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–11–2016 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 2244/2017 प्रस्तुत हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से निम्नानुसार आदेश दिये गये हैं :– " In the present case, the order summoning the petitioners have been challenged. However, in my considered openion, if the respondents may have applied for correction of the map wherein the petitioners have been summoned then the said order of summoning may not be incorrect, but it would not confer the jurisdiction to Board of Revenue to decide the issue raised before the Tahsildar. Therefore, in my concerned opinion, the judgment of Saudan singh (supra) is also of no help to the respondents . In view of the foregoing discussion , in my considered opinion , the order passed by the Board of Revenue stands set aside. Simultaneously, it is to observe here that the challenge made by the petitioners merely summoning the orders do not create in grievance to them to file the revision before the Board of Revenue , therefore , the said revision itself deserves to be dismissed. As the relief prayed for in the said revision cannot be granted, however, it is directed that the Tehsildar would decide the preoceedings initianted by the respondents within a period of three months from the date of communication of the oreder.	

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में तहसीलदार गुड़ ने प्रकरण में आदेश दिनांक 5–4–2018 पारित किया है तथा पूर्व में किये गये नक्शा तरमीम को निरस्त करते हुये नक्शा तरमीम स्वीकृत किया है।

3/ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में में तहसीलदार गुड़ के प्रकरण कमांक 405/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 5–4–2018 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार व्दारा यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य आदेश है जिसके विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश संभव नहीं है। पीढ़ित पक्षकार इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं जिसके कारण विचारधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार किया बिना इसी–स्तर पर अग्राह्य की जाती है।

सदस्य